

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम) अनुभाग

क्रमांक:- प.13(2)वित्त/नियम/ 2016

जयपुर दिनांक : 11.6 JUN 2025

शुद्धि पत्र

विषय:- राज्य के बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में वर्गीकृत समकक्ष पदों के अनुसार वर्गीकरण किये जाने एवं एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत लाभ दिये जाने बाबत।

संदर्भ:- वित्त (नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 13(2)वित्त/नियम/2016 दिनांक 04.06.2025.

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के द्वितीय पैराग्राफ के अन्तर्गत उल्लेखित उद्धरण के बिन्दु संख्या 1 की अन्तिम पंक्ति में वर्णित 9, 10 व 27 वर्ष की सेवा को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पढ़ा जावे।



(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। (वित्त)
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।



(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(रेप्सर-2/2025)